कार्यालय : 2557153
निवास : **2557378**
फैक्स : 2571241
Email : igrebpl@mp.nic.in

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश
पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल—462003

जी पी सिंघल **अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 580/सां/2004**

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16/02/004

विषय : मुद्रांक शुल्क न चुकाने के कारण शासन की राजस्व हानि।

प्रिय श्री,

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1988 की सारिणी 1—क के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विक्रय के प्रमाणपत्रों पर नीलामी राशि पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क, 1 प्रतिशत की दर से जनपद शुल्क तथा सम्पत्ति नगरीय क्षेत्र में स्थिति होने की स्थिति में 1 प्रतिशत की दर से नगर निगम/नगरपालिका शुल्क देय होता है।

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 में हर लोक कार्यालय के भार साधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह ऐसे कोई दस्तावेज के आधार पर कार्यवाही न करें जो कि सम्यक रूप से मुद्रांकित न हों। इसी अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी ऐसे दस्तावेज निष्पादित करता है अथवा उनके आधार पर कार्यवाही करता है, जो सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं है तो उस पर भी अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है।

3. शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत ऋण वसूली हेतु सम्पत्ति का विक्रय नीलाम द्वारा किया जाता है किन्तु इन में से कुछ विक्रय प्रमाण पत्रों पर उक्तानुसार स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया जाता जिससे शासन को राजस्व की हानि होती है। इस संबंध में सभी जिला पंजीयकों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि भविष्य में बिना स्टाम्प शुल्क चुकाए जारी किए गए विक्रय प्रमाण पत्रों के विषय में प्रमाणपत्र जारी करने वाली अधिकारी के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करें।

अतः अनुरोध है कि कृपया सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नीलाम द्वारा किए गए सम्पत्ति के विक्रय के मामलों में उक्तानुसार स्टाम्प शुल्क आवश्यक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करावें।

4. विगत वर्षो में किये गये विक्रय पत्रों/विक्रय अनुबंध पत्रों के संबंध में मुद्रांक शुल्क की वसूली हो सके, इस उद्देश्य से अनुरोध है कि विगत 5 वर्षों में किए गए विक्रय प्रमाण पत्रों की सूची कृपया निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

क्र.	वित्तीय वर्ष	क्रेता का नाम	सम्पत्ति का विवरण	नीलामी राशि	विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने/निष्पादित करने वाले अधिकारी काक नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

उक्त जानकारी राज्य की राजस्व आय के लिए महत्वपूर्ण है अतः अनुरोध है कि कृपया इसे दिनांक 23.2.2004 तक आवश्यक रूप से भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

(जी.पी. सिंघल)

प्रति,

1. श्री पी.के. दास, आयुक्त, वा.कर।
2. श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी, आयुक्त सहकारिता।
3. श्रीमती गौरीसिंह, प्र.सं. मध्यप्रदेश वित्त विकास निगम।
4. श्री राघव चन्द्रा, म.प्र. राज्य उद्योग निगम।

प्रतिलिपियॉः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग,
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग विभाग
5. संभागीय आयुक्त समस्त
6. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश
7. जिला पंजीयक (समस्त) मध्यप्रदेश

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

कार्यालय : 2441370
: 2441848
निवास : 2571241

बी. के. साहा

मुख्य सचिव

Chief Secretary

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 84 / मु.सं. / 2004–CT

भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2004

विषय :मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन की हानि रोकने के संबंध में कार्यवाही।

प्रिय

आपको विदित होगा कि राज्य के विभिन्न विलेखों पर लगने वालो मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राज्य की आये का एक प्रमुख स्त्रोत है। इस वर्ष इस मद में रूपये 610 करोड़ के राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध दिनांक 31.01.04 तक रूपये 462 करोड़ की ही प्राप्ति हुई है। मुझे आशा है कि आपक सक्रिय सहयोग से विभाग वर्ष के शेष माह में पूर्ण लक्ष्म की प्राप्ति कर सकेगा।

2. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में स्टांप एवं पंजीयन विधान के प्रावधानों का पालन न करने के कारण शासन को प्रति वर्ष करोड़ों रूपयों की राजस्व आय से वंचित होना पड़ता है। इस प्रकार की कार्यवाही के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैः–

(क) बहुत से स्थानों पर नगर निगम / नगरपालिका / नगर पंचायतों / कृषि उपज मंडियों द्वारा पट्टे पर दी जाने वाली दुकानों / भवनों के दस्तावेजों का न तो पंजीयन कराया जा रहा है तथा नहीं इन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क चुकाया जा रहा है, जबकि एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के पट्टों, का पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 के अंतर्गत पंजीयन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सारणी 1–क के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क भुगतान करना आवश्यक है। इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही के प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिकनियम 1899 की धारा 62 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। संपत्ति के अंतरण विलेखों के निष्पादन की इस प्रकार से अनियमित कार्यवाही के फलस्वरूप केवल 5 जिलों में ही शासन को रूपये 1.98 करोड़ की राजस्व आय से वंचित होना पड़ा है। ऐसी स्थिति अन्य जिलों में भी हो सकती है। अतः सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उक्त संस्थानों द्वारा गत 5वर्षों में पट्टे पर अंतरित किए गए सभी भवन / दुकानें आदि के समस्त दस्तावेजों पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाये

तथा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले पट्‌टो का भी नियमानुसार पंजीयन हो।

(ख) सामान्यतः भूमि का अंतरण उत्तराधिकार के अतिरिक्त विक्रय, पट्‌टे, दान आदि द्वारा किया जाता है। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 100 रूपये से अधिक मूल्य की किसी भी अचल संपत्ति को उक्तानुसार अंतरण पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर ही किया जा सकता है। परन्तु कुछ स्थानों से इस प्रकार के अंतरणों में भी बिना पंजीबद्ध दस्तावेजों, के अविवादित प्रकरण मानकर नामांतरण कर दिये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं। इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही के फलस्वरूप गत वर्षों में रायसेन जिले में लगीाग रूपये 1.70 करोड़, इंदौर जिले में रूपये 45 लाख एवं होशंगाबाद जिल्ले में रूपये 3.85 करोड़ के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के अपवंचन के प्रकरण प्रकाश में आए हैं। ऐसी ही स्थिति कुछ अन्य जिलों में भी हो सकती है। अतः आप अपने जिले में गतः 5 वर्षों में हुए नामांतरण प्रकरणों की जांच करवाएं तथा जांच में पाए गए सभी अनियमिति नामांतरणों के विषय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, अंतरण के दस्तावेजा का विधिवत् पंजीयन करवाना सुनिश्चित करें।

(ग) प्रदेश में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत अनेक विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत उक्त अधिकारियों द्वारा नीलाम की गइ्र सम्पत्ति के विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की सारणी–1 क के अनुच्छेद 17 के अनुसार सम्पत्ति के ऐसे विक्रय प्रमाण पत्रों पर भी स्टाम्प शुल्क देय होता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से विक्रय प्रमाण पत्रों पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करने के स्थान पर उन्हें केवल 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर दिया जाता है, जिससे राजस्व की हानि होती है। अतः आप अपने जिले में विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए विक्रय प्रमाण पत्रों की जांच कर लें तथा यदि उनके नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा नहीं कराया गया हो तो संबंधित संस्था/व्यक्ति से स्टाम्प शुल्क जमा करवाये।

3. मुझे आशा है कि आप उक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 31.03.2004 तक पूर्ण कर लेंगे। कृपया की कार्यवाही से मुझे 10 अप्रैल, 2004 तक अवगत कराएं।

शुभेच्छाओं के साथ,

भवदीय

(बी.के. साहा)